



क्रमांक : प.सुगम/जा.पं./2013 / 2217

दिनांक 26/09/2013

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमती **कानाराम**

पुत्र/पुत्री **नरसाराम**

निवासी **ताजाणियो का तला कापराऊ**

जिला/डिविजन **बाड़मेर** राज्य/संघ राज्य- राजस्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी/प्रार्थीनी जाति/समुदाय

का है जिसे निम्नांकित अनुसार

जो **अनुसूचित जाति** की सूची संख्या में क्रम सं.

मेघवाल
के रूप मान्यता दी गयी है।
46 पर दर्ज है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956
बम्बई पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुर्नगठन अधिनियम 1966,
हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 उत्तरपूर्वीय क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा-
अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार
संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
अनुसूचित जाति तथा जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान-
-(अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962
संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962
संविधान (पांडीचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
संविधान (अनुसूचित जनजाति) उत्तरप्रदेश, आदेश 1967
संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968
संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1969
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश संशोधन अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1991

श्री/सुश्री/श्रीमति
जाति
जिला/डिविजन

कानाराम
मेघवाल
बाड़मेर

पुत्र/पुत्री श्री
निवासी
राज्य राजस्थान में साधारण तौर से निवास करते हैं।

नरसाराम
ताजाणियो का तला कापराऊ

हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर

स्थान : चौहटन
दिनांक : 26/09/2013

यहाँ प्रयुक्त हुये "साधारण तौर से निवास" शब्दों का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।